न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अपील प्रकरण क्रमांक /2017 जिला–देवास

PBR/अपील/देवास/आब.अ./2017/6140

मेसर्स सोम डिस्टलरीज प्रायवेट **लिमिटेड**,
सेहतगंज, जिला–रायसेन (म.प्र.) –– अपीलार्थी

विरूद्ध

1– आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर

2– उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता उज्जैन

3– जिला आबकारी आयुक्त, जिला देवास

4– जिला आबकारी अधिकारी मैसर्स सोम डिस्टलरीज प्रायवेट लिमिटेड, सेहतगंज, जिला–रायसेन

–– प्रत्यर्थीगण

न्यायालय/कार्यालय आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश ग्वालियर द्वारा पृष्ठांकन क्रमांक 5(1)/2017–18/5385 में पारित आदेश दिनांक 13.10.2017 के विरूद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 62 के अन्तर्गत बने अपील रिवीजन तथा रिव्यू नियमों के पैरा (2) सी के अन्तर्गत अपील।

माननीय महोदय,

अपीलार्थी की ओर से निम्नांकित निवेदन है :–

1– यहकि, अपीलार्थी कम्पनी मेसर्स सोम डिस्टलरीज प्रायवेट **लिमिटेड**, सेहतगंज, जिला–रायसेन द्वारा को वर्ष 2014–15 में जिला देवास के **प्रदाय क्षेत्र** में देशी मदिरा प्रदाय करने की अनुमति कार्यालय के पत्र क्रमांक 5(1)/13–14/518 दिनांक 22.02.2014 से दी गयीं थीं।

2– यहकि, उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता भोपाल के **पत्र क्रमांक**/आब/ठेका/2016/1350 दिनांक 05.10.2016 से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार **जिला** देवास के स्टोरेज देवास एवं सोनकच्छ पर अवधि माह अप्रेल 2014 से मार्च 2015 **तक कॉच** की बोतलो में एक दिवस के औसत प्रदाय का 25 प्रतिशत संग्रह कॉच **की बोतलों** में नहीं रखा गया है।

3– यहकि, उपरोक्त अनियमितताओं के लिये प्रदाय संविदाकार **को कार्यालय** के पत्र क्रमांक 5(1)/2017–18/5758 दिनांक 26.11.2016 से **कारण बताओं सूचना** पत्र जारी किया गया था। कि देवास जिले के स्टोरेज मद्यभाण्डागार **देवास** एवं सोनकच्छ में आसवक के द्वारा निरन्तर आवश्यकता एवं मांग अनुसार प्रदाय **दिया** गया है जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 2014–15 में प्रदाय दिया गया। जिससे **व्यवस्था** सकुशल रही। साथ ही शासन के राजस्व में अतिरिक्त आय की वृद्धि हुयी **जिसका** मद्यभाण्डागार देवास एवं सोनकच्छ के मासिक प्रदाय की अप्रैल 2014 से **मार्च 2015** तक समस्त प्रदाय कर 3112832.25 प्रू.ली. का प्रदाय दिया गया है। मदिरा **का स्कंध** अवशेष के रूप में संग्रहित था। जिससे यह तथ्य को उल्लेखित करता है **कि आसवक** द्वारा न सिर्फ निरन्तर प्रदाय दिया गया। बल्कि नवीन माह के प्रदाय **हेतु भी** काफी मात्रा में शील बंद मदिरा का प्रबंध किया गया है। उपरोक्त **तथ्यात्मक** एवं व्यवहारिक

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - पीबीआर/अपील/देवास/आ.अ./2017/6140

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04/10/18	प्रकरण का अवलोकन किया। यह अपील आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश ग्वालियर के पृष्ठांकन क्रमांक 5(1)/2017-18/5385 में पारित आदेश दिनांक 13.10.2017 के विरुद्ध म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 (जिसे आगे केवल अधिनियिम कहा जाएगा) की धारा 62 (2) (सी) के अंतर्गत पेश की गई है। 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी कंपनी को वर्ष 2014-15 के लिए स्वीकृत प्रदाय क्षेत्र जिला नरसिंहपुर के मद्यभाण्डागारों में एक दिन के औसत प्रदाय का 25 प्रतिशत संग्रह कांच की बोतलों में रखने के निर्देश दिए गए थे। उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता उज्जैन के पत्र दिनांक 05.10.2016 के अनुसार अपीलार्थी कंपनी द्वारा उसे प्रदाय क्षेत्र मद्यभाण्डागारों में अवधि मांह अप्रैल, 2014 से मार्च 2015 तक कुल 39 दिवसों में काच की बोतलों में न्यूनतम संग्रह नहीं रखे जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी कंपनी को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया। अपीलार्थी का उत्तर समाधानकारक नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पृष्ठांकन क्रमांक 5(1)/2017-18/5385 में पारित आदेश दिनांक 13.10.2017 को आदेश पारित कर अपीलार्थी कंपनी पर रुपये 15,000/- शास्ति अधिरोपित करते हुए उक्त 39 दिवसों में एक दिन के औसत प्रदाय का 25 प्रतिशत बोतलबंद देशी मदिरा संग्रह कांच की बोतलों में नहीं रखे जाने के कारण रुपये 250/- प्रतिदिन के मान से रुपये 9,750/- की शास्ति भी अधिरोपित करते हुए कुल रुपये 24,750/- शास्ति अधिरोपित की गई। आबकारी आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है। 3/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख से	

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी कंपनी को वर्ष 2014-15 के लिए स्वीकृत प्रदाय क्षेत्र नरसिंहपुर के मद्यभाण्डागारों में एक दिन के औसत प्रदाय का 25 प्रतिशत संग्रह कांच की बोतलों में रखने के निर्देश दिए गए थे। अपीलार्थी कंपनी द्वारा उसे प्राप्त प्रदाय क्षेत्र के मद्यभाण्डागारों में अवधि माह अप्रैल, 2014 से मार्च 2015 तक कुल 39 दिवसों में काच की बोतलों में एक दिवस के प्रदाय का 25 प्रतिशत संग्रह कांच की बोतलों में नहीं रखा गया है। अपीलार्थी कंपनी का उक्त कृत्य देशी स्प्रिट नियम एवं लाइसेंस की शर्त का स्पष्टत: उल्लंघन है। उपरोक्त स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी कंपनी द्वारा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं होने पर अपीलार्थी कंपनी पर जो शास्ति अधिरोपित की गई है, वह उचित है। इस संबंध में अपीलार्थी कंपनी द्वारा प्रस्तुत तर्क मान्य योग्य नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश औचित्यपूर्ण, न्यायिक एवं विधि सम्मत होकर स्थिर रखे जाने योग्य है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह अपील निरस्त की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखे जाने के आदेश दिए जाते हैं। (एम.गोपाल रेड्डी) प्रशासकीय सदस्य	